न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 147/2016

हाकमसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति रामगढ़िया निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —— अपीलांट

बनाम

1. जरनेलसिंह | पिसरान गुरबक्शसिंह जाति रामगढ़िया निवासी ततारसर
2. लखासिंह | तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।

———रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज. काश्त.अधि 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 14.10.2016

उपस्थितिः—

श्री मनोहरलाल सहारण , अभिभाषक अपीलांट
श्री ओमप्रकाश बतरा , अभिभाषक रेस्पो.।
श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :— 24.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो सं0 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 12 एलएल के मु.न. 55 के कि.न. 1 से 5, 8 से 13, 16 से 25 की 4.681 है0 भूमि संयुक्त खाता में है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 खातेदार दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझोता द्वारा विभाजन दिनांक 25.04.2002 को किया गया हैं एवं विभाजन अनुसार काबिज चले आ रहा है। वादी द्वारा अपने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत करके सुधारा है। प्रतिवादीगण भूमि संयुक्त खाता की होने से वादी के कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है। वादी ने प्रतिवादीगण को पारिवारिक समझोता के अनुसार विभाजन कराने के लिए कई बार कहां लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया । अतः निवेदन है

24/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि वाद स्वीकार कर वाद पत्र कि अनुतोष क के अनुसार वाद डिक्री किया जावें ।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादी को तलब किया गया । प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित आने पर उनके द्वारा जबाव दावा पेश नहीं करने पर जबाव बंद करते हुए वादी का वाद दिनांक 07.07.2016 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये एवं विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से तलब करने के आदेश दिये गये । विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 14.10. 2016 को अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पो. ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने जमाबंदी में दर्ज सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना एवं बिना सुने आदेश पारित किया है। अधी.न्यायालय ने बंटवारा करते समय राजस्थन काश्तकारी (राजस्व मंडल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है एवं अपीलांट को विभाजन के प्रस्ताव पर एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया । इस प्रकार अधी.न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों के मध्य पारिवारिक समझोता हुआ था जिसके अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि काबिज चले आ रहे है। उसे दृष्टिगत रखते हुए अधी.न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी की एवं विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी की जिसमें कोई भूल नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधी. न्यायालय का निर्णय का आधार पारिवारिक बंटवारा है जिसके आधार पर दावा

24/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

डिक्री किया है जो अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज की इबारत दस्तावेज पारिवारिक समझोता अंकित है जो मुंद्राक अधिनियम की धारा 2 (15) की परिधि में विभाजन दस्तावेज होने से पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य पंजीयन योग्य है । अगर उसका पंजीयन नहीं करवाया जाता है तो इसी अधिनियम की धारा 49 के तहत उसे साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जावे परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझोते को साक्ष्य में ग्राहय कर निर्णय पारित किया है जो विधिक तथा रेस्पो. को एक पक्षीय सुनकर पारित होने तथा उपरोक्त प्रावधानों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2016 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमांड किया जाता है कि दोनों पक्षकों को सुनकर रा.का.अ. की धारा 53 एवं इसके अधीन बने नियमों की परिधि में पुनः निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर